

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबंध

हरियाणा में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ईटी.सी.) हरियाणा में एच.वी.ए.टी. अधिनियम तथा नियमों के संचालन के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग का मुखिया है। आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ईटी.ओ.) डीलरों के पंजीकरण, वैट के निर्धारणों, उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (एच.जी.एस.टी. अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत सभी डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। प्रत्येक डीलर जिनका सकल आवर्त्त (जी.टी.ओ.) ₹ पांच लाख से अधिक है, कर योग्य प्रमाण उसकी जी.टी.ओ. में वृद्धि के दिन के अनुवर्ती दिन से एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने हेतु उत्तरदायी थे। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी डीलरों को करदाता पहचान संख्या (टिन) प्रदान की गई थी। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पिछले बिंदु {इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.)} पर प्रदत्त कर के प्रति छूट अनुमत करने के पश्चात् बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर निर्धारित दरों पर कर उद्गृहीत किया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत चयनित मामलों में लेखा-बहियों की जांच के बाद निर्धारण किए गए थे।

2.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति


2007-08 से 2011-12 तक गत पांच वर्षों के दौरान राज्य में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों/वैट से वास्तविक प्राप्तियों के साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियां निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक वैट प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता (कॉलम 4 की कॉलम 2 से)	राज्य की कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक वैट प्राप्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3 की कालम 6 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	7,832.00	7,720.98	(-) 111.02	(-) 01	16,714.90	46
2008-09	9,785.00	8,154.73	(-) 1,630.27	(-) 17	14,893.73	55
2009-10	10,740.00	9,032.37	(-) 1,707.63	(-) 16	15,960.90	57
2010-11	11,500.00	11,082.01	(-) 417.99	(-) 04	20,211.31	55
2011-12	14,100.00	13,383.69	(-) 716.31	(-) 05	25,121.11	53

स्रोत: राज्य बजट तथा वित्त लेखे।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वैट से प्राप्तियां ₹ 7,720.98 करोड़ से ₹ 13,383.69 करोड़ तक बढ़ गईं।



लेरवापरीक्षा परिणाम

2.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को बिक्री कर/वैट राजस्व के बकायों की राशि ₹ 3,405.08 करोड़ में से ₹ 2,583.52 करोड़ (76 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्न तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति का चित्रण करती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वैट बकायों का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि	वैट बकायों का अन्तिम शेष	वास्तविक वैट प्राप्तियां	प्रतिशतता (कॉलम 3 की कॉलम 2 से)	वैट प्राप्तियों से बकायों की प्रतिशतता (कॉलम 4 की कॉलम 5 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	1,268.50	127.54	1,591.87	7,720.98	10	21
2008-09	1,591.87	155.41	1,955.87	8,154.73	10	24
2009-10	1,955.87	164.08	2,724.08	9,032.37	8	30
2010-11	2,724.08	175.51	2,887.35	11,082.01	6	26
2011-12	2,887.35	701.61	3,405.08	13,383.69	24	25

हमने देखा कि राजस्व के बकाया वर्ष 2007–08 के आरंभ में ₹ 1,268.50 करोड़ से वर्ष 2011–12 के अन्त पर ₹ 3,405.08 करोड़ (168 प्रतिशत) तक बढ़ गए। वर्ष के आरंभ में बकायों से बकाया की वसूली की प्रतिशतता 2007–08 से 2011–12 तक के वर्षों के दौरान छः से 24 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। यद्यपि वैट प्राप्तियां 73 प्रतिशत (2007–08 में ₹ 7,720.98 करोड़ से 2011–12 में ₹ 13,383.69 करोड़ तक बढ़ गई), वैट राजस्व के बकाया 168 प्रतिशत (1 अप्रैल 2007 को ₹ 1,268.50 करोड़ से 31 मार्च 2012 को ₹ 3,405.08 करोड़) तक बढ़ गए।

सरकार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए तत्काल बकायों का संग्रहण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए विभाग को परामर्श दें।

2.1.4 करदाता प्रोफाइल

वर्ष 2011–12 के दौरान 10,824 डीलर पंजीकृत किए गए थे। 31 मार्च 2011 को पंजीकृत 1,77,626 डीलरों से उनके आवधिक रिटर्न्स फाइल किए जाने अपेक्षित थे। प्राप्त रिटर्नों की संख्या तथा रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहे शेष डीलरों को नोटिस जारी करने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना द्वारा आपूर्ति नहीं की गई है।

2.1.5 प्रति निर्धारिती वैट की लागत

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए निर्धारितियों तथा बिक्री कर/वैट प्राप्तियों की संख्या नीचे उल्लिखित हैं:

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	बिक्री कर/वैट प्राप्तियां (₹ लाख में)	प्रति निर्धारिती वैट का औसत संग्रहण
2007-08	1,52,352	6,05,931.44	3.98
2008-09	1,56,545	6,42,489.44	4.10
2009-10	1,61,927	7,53,065.60	4.65
2010-11	1,71,036	11,33,032.08	6.62
2011-12	1,92,481	13,85,258.64	7.20

हमने देखा कि प्रति निर्धारिती वैट का औसत संग्रहण 2007–08 में ₹ 3.98 लाख से 2011–12 में ₹ 7.20 लाख तक बढ़ गया। तथापि, गत वर्षों के दौरान निर्धारितियों की संख्या में अन्तर निर्धारण मामलों की बेहतर संवीक्षा तथा अतिरिक्त मांग के सृजन के कारण था।

2.1.6 निर्धारणों में बकाया

बिक्रियों, व्यापार पर करों/वैट के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्रत्येक वर्ष अंत में निर्धारण के मामले के आरंभिक शेष, देय होने वाले मामलों, निपटान किए गए मामलों तथा मामलों के निर्धारण के अंत शेष से संबंधित विवरण अनुवर्ती तालिका में उल्लिखित हैं:

वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामले	कुल	वर्ष के दौरान परिकल्पित निर्धारित/नियमित रूप से निर्धारित मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	कुल मामलों से निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता (कॉलम 5 की कॉलम 4 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	2,16,871	1,81,128	3,97,999	1,75,124	2,22,875	44
2008-09	2,22,875	1,83,153	4,06,028	1,64,132	2,41,896	40
2009-10	2,41,896	2,34,839	4,76,735	1,89,476	2,87,259	40
2010-11	2,87,259	2,13,687	5,00,946	2,09,140	2,91,806	42
2011-12	2,91,806	2,35,799	5,27,605	2,36,822	2,90,783	45

हमने देखा कि बिक्री कर/वैट के संबंध में लम्बित मामले 2007-08 के आरंभ में 2,16,871 मामलों से 2011-12 के अन्त में 2,90,783 (34 प्रतिशत) तक बढ़ गए। 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान कुल मामलों से परिकल्पित निर्धारित/नियमित रूप से निर्धारित बिक्री कर/वैट निर्धारण मामलों की प्रतिशतता 40 से 45 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही।

सरकार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए इन लम्बित निर्धारण मामलों के शीघ्र निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए विभाग को परामर्श दे।

2.1.7 संग्रहण की लागत

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों/वैट की राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ संबंधित वर्ष के सकल संग्रहण से संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	संग्रहण की अखिल भारतीय औसत लागत
2007-08	7,720.98	50.64	0.66	0.83
2008-09	8,154.73	65.92	0.81	0.88
2009-10	9,032.37	78.48	0.87	0.96
2010-11	11,082.01	87.82	0.79	0.75
2011-12	13,383.69	87.65	0.65	-

स्रोत: वित्त लेखे।

2.1.8 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के लिए बिक्री कर/वैट प्रकरणों का पूर्व-निर्धारण स्तर पर तथा नियमित निर्धारणों के पश्चात् कुल संग्रहण का विघटन और आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुस्प आंकड़े अनुवर्ती तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्धारण पूर्व स्तर पर एकत्रित राशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् एकत्रित राशि	लौटाई गई राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण	वित्त लेखाओं के अनुसार निवल संग्रहण	निवल संग्रहण से निर्धारण पूर्व स्तर पर संग्रहण की प्रतिशतता (कॉलम 2 की कॉलम 5 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	7,223.15	723.60	81.15	7,865.60 ¹	7,720.98 ¹	92
2008-09	8,132.08	528.42	101.34	8,559.16 ¹	8,154.73 ¹	95
2009-10	9,973.05	394.45	133.09	10,234.41 ¹	9,032.37 ¹	97
2010-11	11,224.83	2024.09	623.04	12,625.88 ¹	11,082.01 ¹	89
2011-12	14,286.77	425.15	603.72	14,108.20	13,383.69	101

हमने देखा कि निवल निर्धारण से निर्धारणपूर्व स्तर पर एकत्रित राजस्व की प्रतिशतता 2007-08 से 2011-12 के दौरान 89 से 101 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

2.1.9 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

2.1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

नीचे तालिका 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षत यूनिटों की संख्या, लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई अभ्युक्तियों के मूल्य, स्वीकृत मामले तथा उनके विरुद्ध

¹ विभागीय आंकड़ों तथा विवरणी संख्या 11-वर्ष 2007-08 से 2011-12 के सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखाओं में दिए गए आंकड़ों में क्रमशः ₹ 144.62 करोड़, ₹ 404.43 करोड़, ₹ 1,202.04 करोड़, ₹ 1,543.87 करोड़ तथा ₹ 724.51 करोड़ के अन्तर हैं। विभाग ने अक्तूबर 2012 में बताया कि आंकड़े, जी.ओ.आई. से वित्त विभाग द्वारा 1601 लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) अधीन क्षतिपूर्ति से संबंधित हैं। फिर भी, वित्त विभाग के साथ इन आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया है।

की गई वसूली के विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली		स्वीकृत राशि से वसूली की प्रतिशतता
	संख्या	आपत्ति प्रकरणों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2006-07	43	974	395.96	147	1.84	88	0.83	45
2007-08	47	1,232	176.04	145	2.44	77	1.44	59
2008-09	46	863	208.32	106	8.48	61	0.81	10
2009-10	33	667	217.05	102	32.59	36	0.39	1
2010-11	32	775	976.56	182	149.39	54	1.67	1
कुल	201	4,511	1,973.93	682	194.74	316	5.14	3

हमने देखा कि 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली केवल तीन प्रतिशत थी।

2.1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

2011-12 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा ₹ 284.68 करोड़ के राजस्व की अर्थापत्ति सहित राजस्व के अनुदग्रहण/कम उद्ग्रहण/अवसूली/कम वसूली, अवनिर्धारण/हानि, गलत छूट, आवर्त्त का छिपाव/गोपन, कर की गलत दर का अनुप्रयोग, गलत परिणामना इत्यादि 48 अनुच्छेदों में इंगित की गई है। इनमें से विभाग/सरकार ने 42 अनुच्छेदों में ₹ 60.64 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की तथा ₹ 0.41 करोड़ वसूल किए। विवरण निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	8	2.17	7	1.00	2	0.32
2008-09	11	5.48	11	5.11	2	0.07
2009-10	11	119.01	11	30.95	-	-
2010-11	10	147.03	5	12.59	-	-
2011-12	8	10.99	8	10.99	1	0.02
कुल	48	284.68	42	60.64	5	0.41

हमने देखा कि वर्ष 2007-08 तथा 2011-12 के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली केवल 0.68 प्रतिशत थी। स्वीकृत मामलों के संबंध में भी वसूली की धीमी प्रगति तत्पर रूप से सरकारी देयों को वसूल करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों की ओर से विफलता की सूचक है।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार, यह सुनिश्चित करने हेतु कि कम से कम स्वीकृत मामलों में आवेष्टित राशि तत्परता से वसूल की जाती है, वसूली यंत्रावली पुनः तत्काल तैयार करे।

2.1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग में बिक्री कर/वैट के निर्धारणों एवं रिफड़ों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2011–12 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 996 मामलों में ₹ 2,831.41 करोड़ से आवेष्टित कर के निर्धारणों, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में अनियमितताएं प्रकट की जो व्यापकतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	निर्माण संविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण (निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	1,715.02
2.	कर की गलत दरों का प्रयोग	245	31.34
3.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आवर्त्त का अवनिर्धारण	60	139.71
4.	जुमने का अनुद्ग्रहण	88	585.14
5.	ब्याज का अनुद्ग्रहण	63	3.28
6.	आवर्त्त का गलत परिकलन	14	1.49
7.	अन्य अनियमितताएं	525	337.43
	कुल	996	2,831.41

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने 170 मामलों में ₹ 1,732.52 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 28 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,715.26 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान 65 मामलों में ₹ 1.74 करोड़ वसूल किए जिनमें से चार मामलों में आवेष्टित ₹ 2.75 लाख तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 1,715.02 करोड़ से आवेष्टित “निर्माण संविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण” की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 10.99 करोड़ से आवेष्टित व्यारव्यात्मक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

2.2 निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण

2.2.1 विशिष्टताएं

- उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने तथा अंतर्विभागीय डाटाबेस के विनियम की प्रणाली आरंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अंपजीकृत निर्माण ठेकेदारों से ₹ 283.88 करोड़ के राजस्व की अवसूली तथा ठेकादाताओं द्वारा ₹ 88.26 करोड़ के डब्ल्यू.सी.टी. की कम कटौती हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.9)

- घोषणा फार्मों के दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.00 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.10)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों (एएज.) विभाग के मार्गनिर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1,303.16 करोड़ के कर का तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.12.1 तथा 2.2.12.2)

- सकल आवर्त से अस्वीकार्य कटौतियों की अनुमति से ₹ 9.17 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.12.3 से 2.2.12.6)

- बिक्री के संपादनों का निर्माण ठेके के रूप में गलत वर्गीकरण से ₹ 22.47 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.13)

- रिटर्न्स को न भरने के लिए शास्ति के अनुद्ग्रहण से ₹ 1.36 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.14)

2.2.2 प्रस्तावना

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 2 (1) (जे.टी.) “निर्माण ठेके” को ठेकेदार व ठेकादाता के मध्य एक अनुबंध के रूप में परिभाषित करती है जिसमें नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल, किसी चल या अचल सम्पत्ति को जोड़ना, निर्माण करना, बनवाना, बदलना, विनिर्माण, संसाधन, संरचना, स्थापन फिटिंग, सुधारना, मरम्मत या चालू करना शामिल है। धारा 2 (1) (जे.) और (के) के अंतर्गत, “ठेका प्रदाता” वह व्यक्ति है जिसके लिए या जिसके लाभ के लिए, एक निर्माण ठेका निष्पादित किया जाता है

और “ठेकेदार” वह व्यक्ति है जो निर्माण ठेके को या तो स्वयं या उप-ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित करता है। एक ठेकेदार को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को या तो धारा 11 के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी के रूप में या धारा 9 के अंतर्गत एकमुश्त व्यापारी के रूप में पंजीकृत करवाना पड़ता है।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 2(1) (आर.) “माल” को मूर्त या अमूर्त समाचार-पत्रों क्रियायोग्य दावों, धन, स्टॉकज तथा शेयरों या प्रतिभूतियों से अन्य हर प्रकार की चल सम्पत्ति के रूप में परिभाषित करती है परन्तु उगती फसल, घास, पेड़ तथा भूमि से जुड़ी या इसका हिस्सा बनने वाली वस्तुएं, जिन पर बिक्री से पहले या बिक्री की संविदा के अंतर्गत काम करने के लिए समझौता किया जाता है, शामिल करती है। आगे, धारा 2 (1) (जेड.ई.) “बिक्री” को गिरवी या बंधक या प्रभार या रहन के अलावा नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए माल में सम्पत्ति के किसी हस्तांतरद्वा के रूप में परिभाषित करती है और इसमें निर्माण ठेके के निष्पादन में आवेषित माल (चाहे माल या किसी दूसरे रूप में) सम्पत्ति का हस्तांतरण शामिल करती है।

धारा 2 (1) (डब्ल्यू) इनपुट टैक्स को एक वैट व्यापारी को बेचे गए माल के संबंध में राज्य को अदा किए गए कर की राशि के रूप में परिभाषित करती है जो ऐसा व्यापारी धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार परिणित उसके द्वारा कर के भुगतान के रूप में क्रेडिट लेने हेतु अनुमत है। धारा 8 के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी आई.टी.सी. के लिए पात्र है जबकि एकमुश्त व्यापारी आई.टी.सी. के लिए पात्र नहीं है।

एच.वी.ए.टी. नियमों का नियम 49 (5) प्रावधान करता है कि एकमुश्त ठेकेदार निर्माण ठेके के निष्पादन में प्रयोग के लिए फार्म ‘सी’ तथा फार्म वैट डी- I के विरुद्ध माल के क्रय के लिए हकदार है और इस उद्देश्य के लिए उसे विनिर्माणकर्ता माना जाएगा।

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 49 (6) के द्वारा एकमुश्त ठेकेदार को प्राप्य और उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त भुगतानों के साथ प्रयुक्त घोषणा फार्मों का उपयुक्त लेखा रखना अपेक्षित है।

यह सुनिश्चित करने के विचार से कि अधिनियम का प्रवर्तन प्रभावी रूप से तथा दक्षता पूर्वक किया गया है, हमने आबकारी एवं कराधान विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा की।

2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग (पी.एस.ई.टी.) राज्य में बिक्रीकर कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। विभागीय स्तर पर, ई.टी.सी. एच.वी.ए.टी./केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ई.टी.सी. की सहायता के लिए राजस्व जिलों में विभक्त क्षेत्र के अधिकारी होते हैं।

2.2.4 लेरवापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेरवापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम में सम्मिलित निर्माण ठेकों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान है कि या तो ठेकेदार द्वारा या ठेकादाता द्वारा कोई कर का अपवंचन नहीं है; और
- अधिनियम के उल्लंघनों की घटना में शास्ति उपाय आरंभ किए गए हैं।

2.2.5 लेरवापरीक्षा मापदंड

निम्नलिखित लेरवापरीक्षा मापदंड के स्रोत हैं:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम, एच.वी.ए.टी. नियम 2003 और सी.एस.टी. नियम, 1957
- निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण से संबंधित हरियाणा सरकार के मार्गनिर्देश तथा अधिसूचनाएं
- निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण से संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेश।

2.2.6 लेरवापरीक्षा का क्षेत्र तथा पद्धति

23 डी.ई.टी.सी कार्यालयों में से 10^2 की 2009–10 से 2011–12 की अवधि के लिए निर्माण ठेकदारों से संबंधित कर निर्धारण अभिलेखों एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएच.बी.वी.एन.एल.) के अभिलेखों की नमूना-जांच अप्रैल और जून 2012 के बीच की गई। आकार पद्धति से आनुपातिक संभाव्यता से (प्रतिस्थापन बिना) अपनाकर रेन्डम सैम्पल चयन आधार पर हमने आठ डी.ई.टी.सी.ज चयन किए। डी.ई.टी.सी., पलवल के स्थान पर विभाग की सिफारिश पर डी.ई.टी.सी., रेवाड़ी का चयन किया गया। डी.ई.टी.सी.ज, अंबाला और फरीदाबाद (पूर्व) जोखिम विश्लेषण के आधार पर चुने गए। हमने 2006–07 से 2010–11 के अवधि के दौरान अन्य जिलों की लेरवापरीक्षा में देखी गई इसी प्रकार की अभ्युक्तियां भी शामिल की।

² अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

2.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सुसाध्य बनाने के लिए आवश्यक सूचना तथा अभिलेख प्रदान करने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभारी हैं। हरियाणा सरकार के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग के साथ एक एंट्री काफ़ैंस आयोजित की गई (अप्रैल 2012) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, पद्धति तथा जिलों के चयन के लिए नियोजित मापदंड स्पष्ट किए गए थे। जिलों के चयन के समय विभाग के सुझावों को भी ध्यान में रखा गया था। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभाग तथा सरकार को अगस्त 2012 में टिप्पणी के लिए भेजा गया था। हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान विभाग) ई.टी.सी., ए.ई.टी.सी.ज तथा अन्य अधिकारियों के साथ एक एग्जिट काफ़ैंस 12 अक्टूबर 2012 को आयोजित की गई थी। एग्जिट काफ़ैंस के दौरान तथा लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथा विभाग द्वारा व्यक्त विचार निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अंतिम करते समय ध्यान में रखे गए हैं।

प्रणाली की कमियां

2.2.8 डीलरों के रजिस्ट्रेशन न होने के कारण हानि

एच.वी.ए.टी. नियम, 2003 के नियम 10 (2) के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 3 निर्धारित करती है कि यदि किसी डीलर की कर योग्य राशि ₹ 50 चंच लाख से ज्यादा है तो वह उस दिन तथा अनुकर्ता दिन, जिस दिन एक साल में उसका सकल आवर्त, करयोग्य प्रमाण से बढ़ जाता है, से कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। तब डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत संबंधित ए.ए. के साथ स्वयं को पंजीकृत करवायेगा। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 16 विभाग को अधिकार देती है कि किसी डीलर के बारे में सूचना की प्राप्ति पर कि किसी भी अवधि के दौरान वह कर अदायगी के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधि के तीन वर्षों के समाप्त होने से पहले, उसकी सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद डीलर का कर निर्धारण करेगा और इस कर निर्धारद्वारा के परिद्वामस्वरूप उससे देय पाए गए कर की राशि के समान राशि शास्ति के रूप में देने का निर्देश देगा।

डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने पूँजीगत परियोजनाओं की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालू करने के लिए टर्नकी आधार पर ठेकेदारों के साथ ठेका किया। टर्नकी आधार ठेके एकल स्रोत जिम्मेदारी आधार पर संयुक्त ठेके हैं और ठेकेदार को सारा ठेका समग्र रूप से पूरा करना होता है। आगे, विभाग द्वारा अन्य विभागों/संगठनों से सूचना प्राप्त की जानी तथा उन ठेकेदारों को पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था जो निर्माण ठेकों का निष्पादन कर रहे थे परन्तु विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं थे।

डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009–10 से 2011–12 के दौरान इन कंपनियों ने हरियाणा से बाहर स्थित 44 निर्माण ठेकेदारों को टर्नकी बेसिस पर सब स्टेशनों इत्यादि की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू करने हेतु ठेके दिए और केवल माल की आपूर्ति के लिए ₹ 1,135.46 करोड़ का भुगतान किया। ठेकेदारों ने कथित ठेकों का निष्पादन संयुक्त ठेके को दो भागों में विभाजित करके किया अर्थात् एक आपूर्ति के लिए तथा दूसरा स्थापन, परीक्षण तथा चालू करने के लिए। हमने

अवलोकित किया कि इन ठेकेदारों ने उपकरण आपूर्ति भाग पर इसका मूल्य पारगमन बिक्री (बोली प्रलेख की धारा 50.3) दर्शाते हुए कर भुगतान नहीं किया और केवल स्थापन, परीक्षण तथा चालू करने के भाग पर डब्ल्यू.सी.टी. का भुगतान किया। टर्नकी ठेकेदारों की पारगमन बिक्री को अन्तर्राजीय बिक्री माना जाना था। ऐसे निर्माण ठेकेदारों को पंजीकृत करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण ₹ 283.88 करोड़ का राजस्व (₹ 141.94 करोड़ की शास्ति सहित) अवसूलित रहा।

एग्जिट काफ़ैंस के दौरान विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ऐसे ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

2.2.9 निर्माण ठेका कर की अकटौती के कारण हानि

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 24 (1) राज्य में सम्पत्ति के माल में हस्तान्तरण से आवेष्टित, याहे माल के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में निर्माण ठेके के निष्पादन हेतु निर्माण ठेकेदारों को किसी बहुमूल्य प्रतिफल का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति पर चार प्रतिशत की दर पर परिणित कर उससे अग्रिम में कटौती करने हेतु उपयोग की जाती है। आगे, धारा 24 (6) प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति उप धारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित पूरा कर या हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है अथवा धारा 24 (3) के अंतर्गत अपेक्षित समस्त कर या किसी हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है, तब ए.ए., उस वर्ष की समाप्ति से पांच वर्षों के भीतर किसी समय जब वह ऐसा करने में विफल रहता है अगले पांच वर्षों तक उसको सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर, कर की राशि जिसे वह पूर्वोक्त अनुसार कटौती करने में विफल रहा, के समान राशि शास्ति के रूप में भुगतान करने का निदेश देता है।

डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ठेकेदारों के साथ टर्नकी आधार पर पूँजीगत परियोजनाओं के लिए ठेका किया। डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. से प्राप्त सूचना की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान इन कंपनियों ने हरियाणा में पंजीकृत निर्माण ठेकेदारों को टर्नकी आधार पर ₹ 1,324.65 करोड़ मूल्य के ठेके दिए जिनको दो भागों में विभाजित किया गया अर्थात् माल की आपूर्ति (₹ 1104.81 करोड़) तथा स्थापन एवं चालू करना (₹ 219.84 करोड़)। ठेकेदारों को भुगतान करते समय केवल निर्माण और चालू करने के भाग पर ₹ 8.85 करोड़ के मूल्य की डब्ल्यू.सी.टी. की कटौती की गई। मानक बोली प्रलेख की धारा 50.3 जिसके द्वारा माल की आपूर्ति को पारगमन बिक्री के रूप में दिखाया जाना था एच.वी.ए.टी. अधिनियम अनुरूप नहीं था चूंकि टर्नकी ठेका संयुक्त ठेका था तथा और निर्माण ठेका कर की कटौती ठेके के कुल मूल्य पर की जानी चाहिए थी। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के परिणामस्वरूप एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 24 (6) के अंतर्गत ₹ 44.13 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 88.26 करोड़ के बैट का असंग्रहण हुआ।

एग्जिट काफ़ैंस के दौरान विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

अनुपालन कमियां

2.2.10 फार्म वैट डी - I के दुरुपयोग के कारण कर/शास्ति का अनुदग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (3) निर्धारित करती है कि जहां कर योग्य माल एक डीलर से दूसरे डीलर को बेचा जाता है तो चार प्रतिशत की रियायती दर पर कर उद्ग्राहय है यदि क्रेता डीलर फार्म वैट डी - I में प्रमाणित करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि माल, बिक्री के लिए माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु अभिषेत है। आगे, यदि कोई प्राधिकृत क्रेता, कोई माल खरीदने के बाद, विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है तो, ए.ए. उस पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत कर जो अतिरिक्त रूप से उद्गृहीत किया जाएगा, से डेढ़ गुण से अनधिक राशि शास्ति के रूप में लगा सकता है। यदि व्यापारी अवधि हेतु, जब वह विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु क्रय किए गए माल का प्रयोग करने में विफल रहा, विवरणियों सहित कर, जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा- 7 (1) (क) के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से उद्गृहीत किया जायेगा, का भुगतान स्वेच्छा से करता है तो कोई शास्ति नहीं लगाई जायेगी।

^{10³} डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना- जांच ने प्रकट किया कि 62 निर्माण ठेकेदारों जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त राशि अदा करने का विकल्प नहीं अपनाया था, ने 2006-07 से 2009-10 के दौरान भवनों, सड़कों के निर्माण में प्रयोग के लिए फार्म वैट 'डी-1' के विरुद्ध ₹ 47.02 करोड़ के मूल्य का सामान/माल खरीदा। ठेकेदारों ने भवनों/सड़कों इत्यादि का निर्माण किया था जो कि अचल सम्पत्ति होने के कारण माल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। ठेकेदारों ने वैट डी-1 फार्म में दिए गए प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया। अतः ठेकेदार एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। ए.ए.ज जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य 103 मामलों के कर निर्धारण के अन्तिमकरण के समय अतिरिक्त कर और शास्ति उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप ₹ 4.00 करोड़ के अतिरिक्त कर तथा ₹ 6.00 करोड़ की अधिकतम शास्ति का अनुदग्रहण हुआ।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

2.2.11 सी.एस.टी. नियम की धारा 10 के अन्तर्गत शास्ति का अनुदग्रह ।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान करती है कि यदि कोई डीलर माल का प्रयोग, प्रयोजन जिसके लिए वे खरीदे गए थे, उसके लिए करने में विफल रहता है तो ए.ए. कर, जो उचित राज्य के भीतर उसको माल बिक्री के संबंध में उस राज्य के बिक्री कर कानून के अंतर्गत उद्गृहीत किए जायेंगे, के डेढ़ गुण से अनधिक राशि शास्ति के रूप में लगा सकता है।

नौ⁴ डी.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना- जांच के दौरान हमने देखा कि 94 निर्माण ठेकेदारों जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त राशि अदा करने का विकल्प नहीं अपनाया था, ने

³ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक तथा सिरसा।

⁴ अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक तथा सिरसा।

2006-07 से 2010-11 के दौरान फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध हरियाणा राज्य के बाहर से ₹ 285.91 करोड़ के मूल्य का माल खरीदा। ठेकेदारों ने भवनों, सड़कों इत्यादि का निर्माण किया था जो कि अचल सम्पत्ति होने के कारण माल की परिभाषा के अंतर्गत आवृत्त नहीं थे। चूंकि, ठेकेदारों ने वैट 'सी' फार्म में दिए गए प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया, ठेकेदार, सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 'क' के अंतर्गत उद्ग्राहय शास्ति का भुगतान करने हेतु दायी था। ए.एज ने जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य अधिकाधिक 162 मामलों में कर निर्धारण अन्तिम करते समय सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 'क' के अंतर्गत अधिकतम शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया। हमने ऐसी शास्ति को ₹ 40.66 करोड़ परिगणित किया।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान अभ्युक्ति स्वीकार की।

2.2.12 सकल आवृत्त से अननुमत कटौतियां

2.2.12.1 महासागरीय बिक्री

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5 (2) प्रावधान करती है कि भारत की सीमा के भीतर माल के आयात के दौरान माल की बिक्री या खरीद तभी हुई मानी जाएगी यदि बिक्री और खरीद से ऐसा आयात हो या जो भारत के कस्टम फ्रॉटियरज पार करने से पूर्व माल के स्वामित्व के दस्तावेज के हस्तांतरण के द्वारा प्रभावित हो। आगे, सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2 ए) के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38, गलत लेखाओं/दस्तावेजों/सूचना/रिटर्नस/छूट प्राप्त बिक्री के लाभ इत्यादि भरने/दावा करने के लिए उस कर जिसका परिहार किया जाएगा, यदि ऐसे लेख, रिटर्न, दस्तावेज अथवा सूचना जैसा भी मामला हो, सत्य एवं सही के रूप में स्वीकार किया जाए, से तीन गुण राशि के बराबर शास्ति का उद्ग्रहण करने हेतु प्रावधान करती है।

डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पूर्व) और कैथल के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि दो ठेकेदारों ने आपूर्ति, निर्माण, जांच और चालू करने का ठेका (टर्नकी आधार) लिया था तथा बाद में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) और भारतीय आयल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के साथ सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुबंध किया। ठेकेदारों ने 2007-08 से 2008-09 के दौरान ₹ 1,396.56 करोड़ के मूल्य की सामग्री देश के बाहर से खरीदने के बाद उसे सीधे निर्माण स्थल पर आपूर्ति कर दी। ए.एज ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के मध्य चार मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय आयात तथा महासमुद्रीय बिक्री हेतु अनुबंध के प्रमाण के विरुद्ध सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत छूट प्राप्त बिक्री का लाभ अनुमत कर दिया, जैसा कि ठेकेदारों द्वारा दावा किया गया था। दावा किया गया/अनुमत लाभ न तो न्यायसंगत और न ही उचित था। इसके फलस्वरूप ₹ 523.71 करोड़ पर उद्ग्राही शास्ति के अतिरिक्त ₹ 174.57 करोड़ के वैट का अवनिर्धारण हुआ।

आगे, 2010-11 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 (राजस्व प्राप्तियां) हरियाणा सरकार, के अनुच्छेद संख्या 2.5.1.1 में शामिल होने के पश्चात् ई.टी.सी. ने मार्गनिर्देश जारी कर दिए थे (अगस्त 2011) कि टर्नकी परियोजनाओं के ठेकेदारों के मामलों में कर निर्धारण करते समय ऐसी बिक्रियों को अंतर्राज्यीय बिक्रियां माना जाए और तदनुसार कर उद्गृहीत किया जाए।

ई.टी.सी. द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए जाने के बावजूद एएज ने महासमुद्रीय बिक्री की अस्वीकार्य कटौती अनुमत की।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान विभाग वाद से सहमत हुआ। ई.टी.सी. ने चूककर्ता कर निर्धारद्वारा प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अपने अधिकारियों को निदेश दिए।

2.2.12.2 पारगमन बिक्री

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) निर्धारित करती है कि जहां अंतर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी माल की बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य को या तो ऐसे माल के चलन का कारण बनती हैं अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को उनके चलन के दौरान ऐसे माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होती हैं, तो डीलर को ऐसे माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित ऐसे चलन के दौरान कोई अनुवर्ती बिक्री कर से मुक्त होगी बशर्ते कि डीलर विक्रेता डीलर (डीलरों) से प्राप्त किए गए निर्धारित फार्म ई-1 अथवा ई-11 में एक प्रमाण-पत्र तथा क्रेता डीलर (डीलरों) से प्राप्त फार्म 'सी' में एक घोषणा प्रस्तुत करें। माल की आपूर्ति का करार, माल के अन्तर्राज्य चलन के प्रारंभ के पश्चात् तथा समाप्ति से पहले अस्तित्व में आ जाना चाहिए। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2ए) के साथ पठित एच.बी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करती है।

चार⁵ डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि पांच ठेकेदारों ने आपूर्ति, निर्माण, जांच और चालू करने हेतु (टर्नकी आधार पर) अनुबंध किया था और बाद में एच.पी.जी.सी.एल., आई.ओ.सी.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के साथ सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया। ठेकेदारों ने 2007-08 से 2008-09 के दौरान राज्य के बाहर से ₹ 1209.80 करोड़ के मूल्य का सामान खरीदने के पश्चात् माल सीधे निर्माण स्थल पर आपूरित कर दिया। चूंकि सामग्री राज्य के भीतर ही आपूरित की गई थी, बिक्री संपादनों पर एच.बी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया जाना था। एएज ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के मध्य नौ मामलों में कर निर्धारद्वारा करते समय जैसा कि ठेकेदारों द्वारा दावा किए गए अनुसार, सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत ई-1, ई-11 और सी फार्मों के प्रमाण प्रस्तुत करने के विरुद्ध छूट प्राप्त बिक्रीयों का लाभ अनुमत कर दिया। इस प्रकार, दावा किया गया/अनुमत लाभ न तो न्यायसंगत और न ही उचित था। इसके फलस्वरूप ₹ 453.66 करोड़ पर उद्ग्राह्य शास्ति के अतिरिक्त ₹ 151.22 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्वारा हुआ।

आगे, 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 (राजस्व प्राप्तियां), हरियाणा सरकार, के अनुच्छेद न. 2.5.1.2 को शामिल करने के पश्चात् ई.टी.सी. ने मार्गनिर्देश जारी किए (अगस्त 2011) थे, कि टर्नकी परियोजनाओं के ठेकेदारों के मामलों का कर निर्धारद्वारा करते समय ऐसी बिक्री को अंतर्राजीय बिक्री माना जाए और तदनुसार कर उद्ग्रहीत किया जाए। ई.टी.सी. द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए जाने के बावजूद एएज ने पारगमन बिक्री की अस्वीकार्य कटौती अनुमत की थी।

⁵ फरीदाबाद (पूर्व), कैथल, रोहतक तथा सिरसा।

एग्जिट कॉफ्रेंस के दौरान ईटीसी. ने अपने अधिकारियों को चूककर्ता कर निर्धारद्वा प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निदेश दिए।

2.2.12.3 ठेकेदारों को ठेका प्रदाता द्वारा आपूरित की गई सामग्री

एच.वी.एटी. अधिनियम की धारा 2 (जेड.ई.) (ii) प्रावधान करती है कि, निर्माण ठेके के निष्पादन में आवेष्टित माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जहां ऐसा हस्तांतरण, नकदी आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए है, हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस माल की बिक्री मानी जाएगी। एच.वी.एटी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, हर स्तर पर कर उद्घाहणीय है तथा मानी गई बिक्री भी ठेकेदारों के हाथ में कर योग्य है। एक निर्माण ठेकेदार या तो निर्माण ठेके की सकल प्राप्तियों के चार प्रतिशत की दर पर कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान करा सकता है या निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित माल के मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है। कार्यपालक अभियंता तथा अन्य (2004) 136 एसटीसी. 641 (एससीएफबी.), के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, सर्विदाकर्ता द्वारा ठेकेदार को आपूरित सामग्री और जिसकी वसूली बिलों द्वारा की जाती है, बिक्री है।

चार^६ डी.ईटी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि छः सर्विदाकर्ताओं ने 2007–08 से 2008–09 के दौरान ₹ 3.63 करोड़ मूल्य की सामग्री अपने निर्धारा ठेकेदारों को आपूरित की। दिसंबर 2010 और मार्च 2012 के मध्य नौ मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय एएज ने सर्विदाकर्ताओं द्वारा निर्माण ठेके के निष्पादन में प्रयोग के लिए आपूरित सामग्री पर छूट की अनुमति दी तथा कर का उद्घाहण नहीं किया जिसके मूल्य की वसूली चालू बिलों द्वारा की गई। इस प्रकार, अस्वीकार्य कर्तृती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.45 करोड़ के बैट का अवनिर्धारद्वा हुआ।

एग्जिट कॉफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा के अभियुक्ति को स्वीकार किया।

2.2.12.4 उप – अनुबंध

एच.वी.एटी. अधिनियम की धारा 42 प्रावधान करती है कि ठेकेदार और उप-ठेकेदार दोनों संयुक्त रूप से और कई बार संपत्ति के माल में हस्तांतरद्वा चाहे वह, निर्माण निष्पादन में आवेष्टित माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, के संबंध में कर भुगतान करने हेतु दायी है। यदि वह एए. की संतुष्टि के लिए प्रमाणित करता है कि ठेकेदार द्वारा कर भुगतान किया जा चुका है तथा ऐसे कर का निर्धारण अन्तिम बन चुका है तो उप-ठेकेदार द्वारा कोई कर भुगतानयोग्य नहीं है। यदि ठेकेदार पूरे ठेके के लिए कर का भुगतान कर रहा है तो उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से निर्माण ठेका कर (डब्ल्यूसी.टी.) की कर्तृती करने के लिए ठेकेदार दायी नहीं है।

छः^७ डी.ईटी.सीज के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि मार्च 2010 तथा मार्च 2012 के मध्य 18 मामलों में 2006–07 से 2010–11 के वर्षों के लिए कर निर्धारद्वा अंतिम करते समय मुख्य ठेकेदार द्वारा अपेक्षित कर निर्धारद्वा आदेश/कर के

^६ गुडगांव (पश्चिम), हिंसार, कैथल तथा कुरुक्षेत्र।

^७ फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), कैथल, पानीपत, रोहतक तथा सिरसा।

भुगतान का प्रमाण प्राप्त किए बिना 11 निर्माण ठेकेदारों को ₹ 60.56 करोड़ के उप ठेके की कटौती अनुमत की गई। इसके फलस्वरूप ₹ 6.46 करोड़ के वैट का अवनिधारण हुआ।

एग्जिट काफ़ैंस के दौरान विभाग लेखापरीक्षा के बाद से सहमत हुआ।

2.2.12.5 सबमर्सिबल पंपों की कर मुक्त बिक्री

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची ख की प्रविष्टि - 1 के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कृषि उपकरण और कृषि साधन वैट के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त हैं। तदनुसार, सबमर्सिबल पंप यदि कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए गए हों तो कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त हैं।

डी.ई.टी.सी.ज, अंबाला और कुरुक्षेत्र के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि निर्माण ठेकेदार, जो गहरे ट्यूबवैल की खुदाई और प्रतिष्ठापन के निर्माण ठेके का निष्पादन कर रहे थे और जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त राशि के भुगतान का विकल्प नहीं चुना था, ने 2006-07 से 2009-10 के दौरान ₹ 1.79 करोड़ के सबमर्सिबल पंपों की करमुक्त बिक्री की कटौती का दावा किया। ए.ए.ज ने अगस्त 2009 और फरवरी 2012 के मध्य आठ मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय उन ठेकेदारों जिन्होंने हुडा और जन स्वास्थ्य विभाग के गहरे ट्यूबवैलों की खुदाई तथा प्रतिष्ठापन के निर्माण ठेके का निष्पादन किया था, को सबमर्सिबल पंपों की कर मुक्त बिक्री की कटौती की अनुमति दे दी। कटौती अस्वीकार्य थी क्योंकि ये सबमर्सिबल पंप कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किए गए थे और वे कर उद्ग्रहण से छूट प्राप्त नहीं थे। हमने ₹ 0.22 करोड़ के वैट का अवनिधारण परिगणित किया।

विभाग ने भूल को स्वीकार किया और ई.टी.सी. ने उपयुक्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

2.2.12.6 सकल प्राप्तियों से कर/डब्ल्यू.सी.टी.

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के नियम 33 (2) के साथ पठित धारा 24 (1) प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति निर्माण ठेकेदारों को राज्य में माल में संपत्ति के हस्तांतरण, चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, से आवेष्टित निर्माण ठेके के निष्पादन के लिए किसी भी मूल्यवान प्रतिफल का भुगतान करता है, उसमें से चार प्रतिशत की दर पर परिगणित कर की कटौती अग्रिम में करेगा। यदि कोई निर्माण ठेकेदार ए.ए.ज की संतुष्टि हेतु, सबूत (अनुबंध की प्रति) के द्वारा प्रमाणित करता है कि निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित सामग्री के मूल्य में कर या निर्माण ठेका कर (डब्ल्यू.सी.टी.) शामिल था तो सामग्री में आवेष्टित कर या सकल प्राप्तियों में शामिल निर्माण ठेके कर की कटौती सकल प्राप्तियों में से कटौतीयोग्य होगी।

चार⁸ डी.ई.टी.सी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 39 निर्माण ठेकेदारों ने ₹ 18.78 करोड़ मूल्य की हस्तांतरित सामग्री/सकल प्राप्तियों के मूल्य से कर/निर्माण ठेका कर की कटौती का दावा किया था। ए.ए.ज ने अप्रैल 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य 75 मामलों में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लिए कर निर्धारण अंतिम करते समय ठेकेदारों से ठेके में कर के समावेश का कोई प्रमाण प्राप्त किए बिना कर/डब्ल्यू.सी.टी. की कटौती अनुमत कर दी। ऐसे प्रमाण के बिना ठेकेदारों को कटौती अस्वीकार्य

⁸ फरीदाबाद (पूर्व), हिसार, कुरुक्षेत्र तथा सिरसा।

थी। कर/डब्ल्यू.सी.टी. की अस्वीकार्य कटौती की अनुमति के फलस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ का अधिक लाभ पारित किया गया।

एग्जिट काफ़ेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

2.2.13 निर्मा । ठेके के रूप में बिक्री के ठेके के गलत वर्गीकर । के कार । कर का अवनिर्धार ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध प्रदेश राज्य बनाम कोन एलिवेटर्स इंडिया लिमिटेड (2005) 140 एस.टी.सी. 22 (एस.सी.) के मामले में निर्णय दिया कि लिफ्ट की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालूकरण हेतु संविदा बिक्री के लिए संविदा है, न कि निर्माण संविदा। यह आगे 4 जून 2010 को एफ.सी.ई.टी. द्वारा स्पष्ट किया गया था कि डीजल जेनरेटिंग सैटों तथा पम्पिंग सैटों की आपूर्ति तथा स्थापन निर्माण संविदा नहीं बल्कि बिक्री है।

चार⁹ डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 11 निर्माद्वा ठेकेदारों ने 2006-07 से 2008-09 के दौरान लिफ्टों/एसीज/आपूर्ति तथा तैयार मिश्रित कंकरीट तथा गरम मिश्रित (सड़क के लिए) की आपूर्ति, निर्माद्वा, जांच, चालू करने के लिए ₹ 264.39 करोड़ का निर्माण कार्य लिया और इनको बिक्री के लिए ठेके की बजाय निर्माद्वा ठेका मानते हुए चार प्रतिशत की दर पर कर का भुगतान किया। तदनुसार एएज ने जून 2009 और मार्च 2012 के मध्य 15 मामलों में कर निर्धारद्वा अंतिम करते समय 12.5 प्रतिशत के कर की दर की बजाय चार प्रतिशत की दर पर मामलों का कर निर्धारद्वा किया। हमने ₹ 22.47 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्वा आकलित किया।

एग्जिट काफ़ेंस के दौरान प्रधान सचिव ने विचार प्रकट किया कि लेखापरीक्षा को वाद न्यायालिक मामलों में पहले से निर्णीत क्षेत्रों पर केन्द्रित करना चाहिए। हमारा यह विचार है कि विभाग को कराधान क्षेत्रों का दुबारा दौरा करना चाहिए तथा कर के अपवंचन से बचने के उद्देश्य से समान क्षेत्रों में निर्णीत मामलों के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए।

2.2.14 रिटर्नज के न भरने के लिए शास्ति का अनुदग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 37 क प्रावधान करती है कि यदि एक डीलर, किसी पर्याप्त कारण के बिना, रिटर्न भरने में विफल रहता है तो ए.ए., ऐसे डीलर को सुनवाई का एक मौका देने के बाद, उस अवधि के लिए जिस दौरान चूक जारी रहती है उसको पहले दस दिन के लिए ₹ 1 एक सौ प्रतिदिन की दर पर और उसके बाद ₹ 2 दो सौ प्रतिदिन की दर पर परिगणित राशि जुमानि के रूप में भुगतान के लिए निर्देश दे सकता है। यदि ए.ए. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दी गई अवधि में शून्य आवर्त्त था तो कोई जुमाना उद्गुहीत नहीं किया जाएगा।

डी.ई.टी.सी., रोहतक और रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 42 निर्माण ठेकेदारों ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए अपने रिटर्न फाईल नहीं किए थे। विभाग ने शास्ति के उद्ग्रहण अथवा ठेकेदारों, जिन्होंने बिना पर्याप्त कारण से अपनी रिटर्न फाईल नहीं की थी, का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके

⁹ अंबाला, गुडगांव (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम) तथा सोनीपत।

फलस्वरूप, रिटर्नर्स फाईल न करने हेतु जुमाने के अनुदग्रहण के कारण ₹ 1.36 करोड़ की राशि के वैट का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने एग्जिट काफ़ैंस के दौरान चूक स्वीकार कि तथा अगली कार्रवाई प्रतीक्षित है।

2.2.15 अन्य रोचक मामले

छ:¹⁰ डी.ई.टी.सी. के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि ए.ए.ज ने जनवरी 2010 और फरवरी 2012 के मध्य कर निर्धारण अन्तिम करते समय 2006–07 से 2010–11 के वर्षों के लिए 13 मामलों में 10 ठेकेदारों के कम कर का निर्धारण किया, अधिक आई.टी.सी. अनुमत की और कम जी.टी.ओ. का कर निर्धारित किया। नीचे दिए गए विवरणानुसार ₹ 2.72 करोड़ (2007–08 के लिए ₹ 0.02 करोड़ की अधिक राशि के रिफ़ंड और ₹ 0.05 करोड़ की शास्ति सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	कर			टिप्पणियां
		उद्याहय	उदगृहीत	कमी	
1	फरीदाबाद (पूर्व)	0.97	0.58	0.39	दो निर्माण ठेकेदारों के तीन मामलों में कर, निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित ₹ 10.49 करोड़ के मूल्य की सामग्री पर उद्याहय था परन्तु ₹ 6.90 करोड़ पर उदगृहीत किया गया।
2	कुरुक्षेत्र	0.33	0.25	0.08 0.06 (ब्याज)	ठेकेदार को कर लगाई जाने वाली सामग्री से ₹ 0.64 करोड़ की हानि की कटौती अनुमत की गई परन्तु यह अनुमत्य नहीं थी क्योंकि हानि व्यय के प्रति समायोजित की जानी है और निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित सामग्री पर पूरा कर लगाया जाना है।
3	अंबाला	0.22	0.19	0.03	ठेकेदार को सामग्री, जिस पर कर लगाया जाना था, से ₹ 0.83 करोड़ की हानि की कटौती अनुमत थी लेकिन यह अनुमत्य नहीं थी क्योंकि हानि खर्चों की तरफ समायोजित की जानी है। निर्माण संविदा के कार्यान्वयन में हस्तांतरित सामग्री पर पूर्ण कर लगाया जाना है।
4	इ.टी.ओ. डब्बाली	0.18	0.00	0.18 0.54 (शास्ति)	दो मामलों में ठेकेदार ने अपने आवर्त्त छिपाए तथा गलत रिटर्नर्स भरे जो ए.ए.ज द्वारा स्वीकार कर लिए गए। अतः धारा 38 के अंतर्गत कर और शास्ति उद्याहय है।

¹⁰

अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), कैथल, कुरुक्षेत्र तथा सिरसा।

वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	कर			टिप्पणियां	
		उद्ग्राह्य	उद्गृहीत	कमी		
5	कैथल	0.63	0.43	0.20 0.25 (आई.टी.सी.)	ठेकेदार को ₹ 0.45 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत किया गया क्योंकि ठेकेदार ने 1.4.10 से कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान करने हेतु विकल्प दिया था परन्तु वर्ष के दौरान निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित सामग्री पर कर निर्धारित किया गया था।	
इनपुट टैक्स क्रेडिट						
		अनुमत	अनुमति योग्य	आधिक्य		
6	फरीदाबाद (पूर्व)	0.25	0.11	0.14 0.11 (ब्याज)	ठेकेदार ने 1.4.08 से कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान करने हेतु विकल्प दिया था और 31.3.08 को ₹ 0.14 करोड़ की आई.टी.सी. से आवेदित सामग्री स्टॉक में थी जो एकमुश्त ठेके में प्रयुक्त किए जाने के कारण अनुमत्य नहीं थी।	
7	फरीदाबाद (पूर्व)	0.35	0.02	0.33 0.26 (ब्याज)	ठेकेदार ने निर्माण ठेके पर कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान किया अतः ऐसे निर्माण ठेके में प्रयुक्त सामग्री की खरीद पर कोई आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं था।	
सकल आवर्त्त						
		कर निर्धारण योग्य	कर	कर निर्धारित	कर	अतिरिक्त कर
8	फरीदाबाद (पूर्व)	7.50	0.30	6.97	0.28	0.02
		6.16	0.25	5.38	0.22	0.03
9	गुडगांव (पश्चिम)	11.48	0.46	8.94	0.36	0.10
						ठेकेदार के शपथ-पत्र के अनुसार जी.टी.ओ. ₹ 10.48 करोड़ लिया जाना था परन्तु गलती से ₹ 8.94 करोड़ लिया गया (पी. एंड एल. लेवा के अनुसार) परिणामतः ₹ 0.10 करोड़ के कर अग्रीत का अनियमित अधिक लाभ हुआ।

विभाग ने एग्जिट काफ़ेइंस को दौरान चूक को स्वीकार किया।

2.2.16 सत्यापन के बिना अनुमत टी.डी.एस./डब्ल्यू.सी.टी.

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 24 (5) निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम में कटौती किया गया राज्य सरकार को भुगतान किया गया कोई कर इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के साथ उसको जारी प्रमाण-पत्र (भुगतानकर्ता द्वारा) के प्राधिकार पर भुगतान लेने वाले द्वारा समायोज्य होगा और ऐसे प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतिकरण पर ए.ए. भुगतान के उचित सत्यापन के बाद ऐसे कर का लाभ अनुमत करता है।

सात¹¹ डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 79 निर्माण ठेकेदारों ने 2006-07 से 2009-10 के दौरान ₹ 28.65 करोड़ के टी.डी.एस./डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ का दावा किया। ए.ए.जे. ने अप्रैल 2009 और मार्च 2012 के मध्य 123 मामलों में कर निर्धारण अन्तिम करते समय उसी या अन्य संबंधित जिलों के दैनिक संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) से सत्यापन किये बिना ₹ 14.96 करोड़ लाभ अनुमत कर दिया। इस प्रकार, निर्माण ठेकेदारों को टी.डी.एस./डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ की अनुमति की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका।

विभाग ने एग्जिट काफ़ैंस के दौरान अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

2.2.17 घोषणा फार्मो लेखाओं का प्राप्त न करना

एच.वी.ए.टी. के नियम 49 (6) के अंतर्गत निर्माण ठेकेदार द्वारा प्राप्य और वास्तव में उसके द्वारा प्राप्त भुगतानों के पूर्ण लेखे सहित घोषणा फार्मो-सी, वैट डी-1 और वैट डी-3 का पूर्ण लेखा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है।

डी.ई.टी.सी., गुड़गांव (पश्चिम) और रेवाड़ी के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 61 निर्माण ठेकेदारों ने 2006-07 से 2008-09 के दौरान घोषणा फार्मो का अपेक्षित लेखा और प्राप्य और वास्तव में उनके द्वारा प्राप्त भुगतानों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया। ए.ए.जे. ने अप्रैल 2009 और मार्च 2012 के मध्य 68 मामलों के कर निर्धारण अन्तिम करते समय उक्त लेखा प्राप्त नहीं किया था। इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में बनाये गये कर निर्धारण की परिशुद्धता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

2.2.18 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी। विभाग ने सूचित किया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा आरंभ करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

¹¹

अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी तथा रोहतक।

2.2.19 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा ने निर्माण ठेकेदारों से कर संग्रहण तथा कर निर्धारण की पद्धति में अनेक कमियां प्रकट की। विभाग ने निर्माण ठेकेदारों के अन्तर्विभागीय डाटाबेस के क्रास सत्यापन हेतु कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की है परिणामस्वरूप अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से राजस्व की प्राप्ति होने से रह गई। सविदाकर्त्ताओं के अभिलेखों की मॉनीटरिंग के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। ठेकेदारों को कर/डब्ल्यू.सी.टी. के भुगतान का लाभ संबंधित डी.सी.आर.जे से भुगतान के सत्यापन के बिना दे दिया गया। विभाग ने सही कर निर्धारण, उद्ग्रहण तथा कर संग्रहण के लिए आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी प्रणाली विकसित नहीं की थी और इस प्रकार, कर के अपवंचन का पता लगाने में विफल रहा। विभिन्न कटौतियों के अनियमित स्वीकृति के उदाहरण देखे गये जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

2.2.20 सिफारिशें

राज्य सरकार विचार कर सकती है:

- अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों का पता लगाने के लिए सूचना के क्रास विनिमय की प्रणाली विकसित बनाने हेतु विभाग को निर्देश देना तथा सूचना के क्रास विनिमय के परिणाम मॉनीटर करना;
- कर निर्धारिति द्वारा घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग का पता लगाने तथा परिहार हेतु एक प्रणाली बनाना;
- अनुबंधों, जिससे संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति कर के बचाव का कारण बनने वाली ट्रॉजिट बिक्री के रूप में समझी जाती है, को स्पलिट करने से रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उचित निर्देश जारी करना;
- एक प्रणाली विकसित करना जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में आवेषित सिद्धांत सदृश अनुबंधों के मामलों में लागू किए जाते हैं;
- निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण के लिए अनुबंधकर्ता की विवरणियों में सम्मलित सूचना उपयोग के लिए प्रणाली विकसित करना; तथा
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली स्थापित करने के लिए कदम उठाना।

2.3 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन

एच.जी.एस.टी. अधिनियम/एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम तथा उनके अधीन बनाए गए नियम निम्न प्रावधान करते हैं:

- (i) निर्धारित दर पर कर/शास्ति का उद्ग्रहण;
- (ii) इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति जैसी स्वीकार्य हो; तथा
- (iii) एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह, उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त, प्रति माह डेढ़ प्रतिशत (11 अक्टूबर 2007 से एक प्रतिशत) की दर पर, यदि भुगतान नब्बे दिनों के अन्दर किया जाता है तथा यदि चूक नब्बे दिनों से अधिक रहती है तो कर के भुगतान हेतु विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख से उस तारीख तक, जब वह भुगतान करता है, की सम्पूर्ण अवधि हेतु प्रतिमाह तीन प्रतिशत (11 अक्टूबर 2007 से दो प्रतिशत) की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

हमने देखा कि ए.एज ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अनुच्छेद 2.3.1 से 2.3.3 तक में उल्लिखित प्रकरणों में नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.26 करोड़ के कर तथा ब्याज का अनुदग्रहण/कम उद्ग्रहण/अवसूली हुई।

2.3.1 कर की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी.) के अंतर्गत दरें अनुसूची ‘ए’ से ‘जी.’ के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत उपयोगी वस्तु से भिन्न कोई उपयोगी वस्तु 1.7.2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर करयोग्य है। आगे, कर के भुगतान में चूक के मामले में एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अन्तर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय है।

डी.ई.टी.सी., (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय के निर्धारण अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान हमने जुलाई 2011 में देखा कि एक डीलर ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 59 करोड़ की रेलवे ट्रैक मशीनें बेची। ये मशीनें ट्रेनों को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए रेलवे ट्रैक की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए प्रयुक्त की गई थी तथा यात्रियों अथवा माल इत्यादि को ले जाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं। दिसंबर 2010 में निर्धारणों को सुनिश्चित करते समय ए.ए. ने अवर्गीकृत मद के संबंध में लागू के रूप में 12.5 प्रतिशत की सही दर की बजाए चार प्रतिशत की दर पर मूल्य वर्धित कर उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ की राशि के कर तथा उस पर ₹ 3.81 करोड़ के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा जुलाई 2011 में मामला इगित किए जाने के पश्चात् ए.ए., फरीदाबाद (पश्चिम) ने जुलाई 2011 में बताया कि इस मशीन का मुख्य कार्य रेलवे ट्रैकों की मरम्मत एवं रख-रखाव करना था तथा इसलिए यह वैट अधिनियम की अनुसूची ‘सी’ की इन्द्राज संख्या 62 के अंतर्गत आवर्त्त थी। ए.ए. का उत्तर एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 में समाविष्ट अनुदेशों तथा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जे.सी.बी. इंडिया लिमिटेड

वर्ष 2011–12 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

के मामले में दिनांक 30 मार्च 2006 को जारी स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं था, जिसमें यह बताया गया था कि संयंत्र एवं मशीनरी इन्ड्राज के अंतर्गत केवल ऐसी मशीनरी आवर्त्त किए जाने के लिए पात्र होगी जो औद्योगिक स्तर पर माल के उत्पादन अथवा सेवा के लिए संयंत्र में उपयोग की जाती है, अन्यथा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा।

एगिट काफ़ैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.3.2 ग्वार गम की बिक्री पर मूल्य वर्धित कर का अनुद्घ्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दरें अनुसूची 'ए' से 'जी.' के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत उपयोगी वस्तु से भिन्न कोई उपयोगी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर करयोग्य है।

ईटीओ. (बिक्री कर), मंडी डबवाली (सिरसा) के कार्यालय के अभिलेखों की अप्रैल 2010 में नमूना - जांच के दौरान हमने देखा कि डीलर ने वर्ष 2007 - 08 के दौरान ₹ 2.18 करोड़ मूल्य का ग्वार गम बेचा तथा कर - मुक्त माल के रूप में दावा किया। जनवरी 2010 में निर्धारणों को सुनिश्चित करते समय ए.ए. ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे कर - मुक्त माल के रूप में मानते हुए छूट अनुमत की। तथापि, किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट न होने से ग्वार गम 12.5 प्रतिशत की दर पर करयोग्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.23 लाख की राशि के वैट का अनुद्घ्रहण हुआ।

हमारे द्वारा अप्रैल 2010 में मामला इंगित किए जाने के पश्चात् ईटीओ., डबवाली ने फरवरी 2012 में बताया कि मामला स्वतः कार्रवाई करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

एगिट काफ़ैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु मामले की जांच करने का निदेश दिया।

2.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में इनपुट टैक्स उसे ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को प्रदत्त कर की राशि होगी। आगे, अनुसूची - ई में उल्लिखित अनुसार ईंधन के रूप में प्रयुक्त पैट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पर आईटी.सी. अनुमत नहीं है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी के कार्यालय की जनवरी 2012 में नमूना - लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि वर्ष 2007 - 08 के दौरान एक डीलर ने ₹ 2.53 करोड़ के मूल्य के फरनेस तेल (एफ.ओ.) का क्रय, ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु किया और आईटी.सी. का दावा किया। ए.ए. ने नवंबर 2010 में निर्धारण को अंतिम करते समय ₹ 10.11 लाख का आईटी.सी. अनुमत किया, यद्यपि ईंधन की तरह प्रयुक्त पैट्रोलियम उत्पाद की खरीद पर आईटी.सी. स्वीकार्य नहीं

था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 लाख की राशि के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 10.11 लाख की आईटी.सी. की गलत अनुमति हुई।

जनवरी 2012 में हमारे द्वारा मामला इंगित किए जाने के पश्चात् डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी ने जून 2012 में बताया कि स्वतः कार्यवाही करने के लिए मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

हमने मामला जून 2012 में ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित तथा सरकार को प्रतिवेदित किया।

एग्जिट काफैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.4 वर्गीकरण / आवर्त्त का गलत निर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम तथा उनके अधीन बनाए गए नियम प्रावधान करते हैं:

- (i) डीलर द्वारा रिटर्नों में वास्तविक आवर्त्त का प्रकटीकरण;
- (ii) निर्धारित दर पर कर/ब्याज/शास्ति का उद्ग्रहण;
- (iii) निर्धारण के समय एएज द्वारा माल के वर्गीकरण का सही निर्धारण; तथा
- (iv) निर्धारण के समय आवर्त्त का सही निश्चय।

हमने देखा कि एएज ने 2.4.1 से 2.4.4 तक अनुच्छेदों में उल्लिखित मामलों में निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के कर/ब्याज/शास्ति का अनुदग्रहण/कम उद्ग्रहण/अवसूली हुई।

2.4.1 विक्रयों के गोपन के कारण कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों अथवा माल के स्टॉक को छिपाने के दृष्टिकोण से झूठे अथवा गलत लेखे अथवा दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं अथवा कोई विवरण छिपाए हैं अथवा कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज अथवा सूचना, जो किसी सामग्री विवरण में झूठी अथवा गलत है, को प्रस्तुत अथवा किसी प्राधिकारी के सामने पेश किया है तो ऐसा प्राधिकारी उसे कर के अतिरिक्त, जिसके लिए वह निर्धारित है अथवा निर्धारित किया जाना दायी है, कर की राशि से तीन गुणा राशि, जो बचाई जा सकती है यदि ऐसे लेखा, रिटर्न, दस्तावेज अथवा सूचना, जैसा भी मामला हो, को सत्य एवं सही के रूप में स्वीकार किया गया हो, को जुर्माने के जरिए भुगतान करने का निदेश दे सकता है। कपटपूर्ण उपायों द्वारा कर का अपवंचन रोकने के लिए वैट अन्तर्राज्य बिक्री लेन-देनों का सही पता लगाने के लिए कर सूचना विनियम प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के प्रारंभ करने का प्रावधान करता है। आगे, नकली कर इनवाइसिज जारी करके अथवा माल, जो न तो खरीदा गया और न ही बेचा गया इत्यादि, के झूठे लेखांकन द्वारा कपटपूर्ण आईटी.सी. का दावा करके वैट के अपवंचन का पता लगाने के दृष्टिकोण से ईटी.सी. ने वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ 1 एक लाख से अधिक योग वाले सभी क्रय/विक्रय लेन-देनों के क्रास सत्यापन हेतु मार्च 2006 में अनुदेश जारी किए।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने दिसंबर 2009 तथा जून 2010 में पाया कि दो डीलरों ने अपने कर रिटर्नों में चार डीलरों को की गई ₹ 6.08 करोड़ की बिक्रियां शामिल नहीं की। आगे, एक डीलर ने ‘सी’ फार्म के विरुद्ध किए गए ₹ 1.63 करोड़ के क्रय भी नहीं दर्शाए। यद्यपि, एक डीलर को ₹ 1.50 करोड़ की बिक्रियां विभाग द्वारा सितंबर 2007 में देखी गई किन्तु मार्च 2009 में वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारण सुनिश्चित करते समय ए.ए. द्वारा चूककर्ता डीलर को विरुद्ध कर तथा शास्ति के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। ईटी.सी. के मार्च 2006 के निर्देशों के बावजूद क्रयों और विक्रयों के संपादनों के क्रास सत्यापन में एएज की विफलता के कारण ₹ 7.88 करोड़ की बिक्रियों का छिपाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.51 लाख के वैट का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, क्रयों और विक्रयों के गोपन पर ₹ 94.53 लाख का जुर्माना भी उद्गाहय था।

दिसंबर 2009 और जून 2010 में हमारे द्वारा ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् ए.ए., फरीदाबाद (पूर्व) ने मई 2012 में बताया कि एक मामले में छिपाई गई बिक्रियों पर ₹ 16.99 लाख का कर उद्ग्रहण करने तथा ₹ 50.98 लाख हेतु धारा 38 के अंतर्गत शास्ति लगाने के लिए अगस्त 2010 में एक मामले का पुनः निर्धारण किया गया है, जिसमें से अब तक ₹ 30 लाख वसूल किए गए हैं। दूसरे मामले में ए.ए. ने मई 2012 में बताया कि डीलर का प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2006 से निरस्त कर दिया गया था तथा वर्ष 2006-07 के लिए डीलर द्वारा कोई रिटर्न फार्फूल नहीं किया गया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि इस डीलर ने 2006-07 में बिक्रियां की तथा इसलिए उनपर कर भुगतान करने के लिए दायी था। तथापि, एक्जिट काफ़ैस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच करने का निदेश दिया।

2.4.2 फार्म 'एफ' के दुरुपयोग के कारण कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 'क' के अंतर्गत, फार्म 'एफ' के प्रस्तुतिकरण पर एक राज्य से अन्य राज्य में व्यापार के अन्य स्थान पर माल का स्थानान्तरण कर के उद्ग्रहण से मुक्त है और यदि कोई डीलर ए.ए. की तसली पर माल के स्थानान्तरण का दावा सिद्ध करने में विफल रहता है तो इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के माल का चलन बिक्री के परिणाम के रूप में घटित माना जाएगा। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि निश्चित डीलरों (संवीक्षा के लिए चुने गए) के मामले में, एक वर्ष में एक एकल वैट डीलर से ₹ 30 लाख से अधिक के सभी लेन-देनों का कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए क्रास सत्यापन किया जाएगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), कैथल तथा कुरुक्षेत्र के निर्धारण अभिलेखों की अगस्त 2009 तथा मार्च 2011 में नमूना-जांच के दौरान हमने पाया कि ऐसे घोषणा फार्म 'एफ' पाए गए थे जिनके विरुद्ध तीन डीलरों ने वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कर की रियायती दर पर ₹ 1.19 करोड़ मूल्य के माल की प्रेषण बिक्री पर कटौती का दावा किया। ए.ए. ने सितंबर 2008, नवंबर 2009 तथा जनवरी 2010 में निर्धारण के अंतिमकरण के समय कटौती अनुमत की। दिनांक 14 मार्च 2006 के ई.टी.सी. निर्देशों में अपेक्षितानुसार दावों की संवीक्षा तथा लेन-देनों का क्रास सत्यापन करने में ए.ए.ज की विफलता कटौती की अनुचित मंजूरी में फलीभूत हुई, जिसके कारण बाद में ₹ 9.48 लाख के वैट का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त कर के अपवंचन के लिए जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

हमारे द्वारा अगस्त 2009 तथा मार्च 2011 में मामले इंगित किये जाने के पश्चात् डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) को अन्य राज्यों से 'एफ' फार्मों के सत्यापन हेतु भेजा गया था। ए.ए., कुरुक्षेत्र ने जनवरी 2012 में बताया कि सत्यापन पर, ये फार्म संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए पाए गए थे तथा ये मामले स्वतः कार्रवाई करने के लिए अगस्त 2012 में पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे। अन्य मामले में ए.ए., कैथल ने मार्च 2012 में बताया कि मामला स्वतः कार्रवाई करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

एक्जिट काफ़ैस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और प्रधान सचिव ने तर्कसंगत राजस्व के पुनः निर्धारण एवं वसूली के लिए डीलरों के मामले खोलकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को निदेश दिए।

2.4.3 जाली घोषणा फार्म 'सी' प्रस्तुत करने से कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8(4) प्रावधान करता है कि सब-सैक्षण (1) के अंतर्गत रियायत, अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक वस्तुएं बेचने वाला डीलर निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता, जोकि सही तरीके से भरा और पंजीकृत डीलर जिसको वस्तुएं बेची जाती हैं द्वारा हस्ताक्षरित हो, निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फार्म में निर्धारित विवरण सम्मिलित हो। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि निश्चित डीलरों (संवीक्षा के लिए चुने गए) के मामले में, एक वर्ष में एक एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के सभी लेन-देनों का कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए क्रास सत्यापन किया जाएगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुडगांव (पश्चिम) तथा फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालयों की निर्धारण फाइलों की मई 2010 में नमूना-जांच के दौरान हमने पाया कि ₹ 3.69 करोड़ मूल्य के माल की कुल सी.एस.टी./बिक्री में से दो डीलरों ने ₹ 58.97 लाख मूल्य की बिक्री हेतु दो घोषणा फार्म 'सी' पर सी.एस.टी. की रियायती दर का दावा किया, जो कागज की घटिया गुणवत्ता के कारण सदैहास्पद पाए गए थे तथा 2006-07 के दौरान कोई वाटर मार्क नहीं था। वर्ष 2006-07 के लिए जनवरी तथा मार्च 2010 के मध्य निर्धारण सुनिश्चित करते समय ए.ए. ने लेन-देनों का क्रास सत्यापन किए बिना दावा स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप कर की रियायती दर की गलत अनुमति हुई जिसके कारण ₹ 4.56 लाख की राशि के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, कर के अपवंचन पर जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

हमारे द्वारा मई 2010 में मामले इंगित किए जाने के पश्चात् ए.ए.ज. ने नवंबर तथा दिसंबर 2011 में बताया कि फार्म, संबंधित निर्गम प्राधिकारियों से सत्यापित करवाए गए थे तथा असली नहीं पाए गए थे। एक मामले में ए.ए., फरीदाबाद ने ₹ 1.33 लाख (₹ 3.48 लाख का कर उद्ग्रहीत किया गया जिसमें से ₹ 2.15 लाख अतिरिक्त आई.टी.सी. से समायोजित किए गए थे) की मांग सृजित की। यद्यपि, ए.ए. ने नकली फार्म के विरुद्ध कर मांग सृजित की किन्तु एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। ए.ए., गुडगांव ने बताया कि डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

एग्जिट काफ़ैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

2.4.4 गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम उद्ग्रहण

2.4.4.1 एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अन्तर्गत माल के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम की 'ए' से 'जी' तक की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहण है तथा उपयुक्त अनुसूची में वर्गीकृत न की गई मदें जुलाई 2005 से कर की सामान्य दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत पर करयोग्य है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2003 से एच.वी.ए.टी. अधिनियम की किसी अनुसूची के अन्तर्गत इन उपयोगी वस्तुओं को विनिर्दिष्ट नहीं किया। इस पर अगस्त 1998 में न्यायिक रूप से निर्णय किया गया है कि मॉसकीटो कॉयल/मैट्स को कीटनाशियों के रूप में नहीं माना जा सकता तथा इन्हें सामान्यतः रिपेलेन्ट्स के रूप में जाना जाता है तथा इस प्रकार ये कर-योग्य हैं। किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर न होने के कारण मॉसकीटो मैट्स/कॉयल्स तथा अन्य मॉसकीटो रिपेलेन्ट्स 30 जून 2005 तक 10 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 12.5 प्रतिशत की सामान्य दर पर कर के लिए उद्ग्रहण है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के कार्यालय के निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अक्तूबर 2008 में पाया कि एक डीलर ने वर्ष 2004-05 के दौरान ₹ 40.15 लाख मूल्य की मॉसकीटो मैट्स/कॉयल्स की बिक्री की। जनवरी 2008 में निर्धारणों को सुनिश्चित करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने माल को कीटनाशी मानते हुई 10 प्रतिशत की सही दर की बजाए चार प्रतिशत की दर पर कर उद्गृहीत किया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.41 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्तूबर 2008 में मामला इंगित किए जाने के पश्चात् एए. ने मार्च 2012 में बताया कि जनवरी 2009 में ₹ 2.41 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। वसूली पर आगे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अक्तूबर 2012)।

हमने मामला मई तथा जून 2012 में ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित तथा सरकार को प्रतिवेदित किया।

2.4.4.2 वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 11 सितंबर 2007 को स्पष्टीकरण दिया है कि अल्ट्रा हाई टैम्परेचर (यूएच.टी.) स्वीटंड फ्लेवर्ड मिल्क, अल्ट्राहाई टैम्परेचर मिल्क, जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'सी' के इन्द्राज 81 के अंतर्गत आवृत्त किया गया है, से भिन्न है। अतः यूएच.टी. स्वीटंड फ्लेवर्ड मिल्क उत्पाद कर की सामान्य दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत पर करयोग्य है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत के कार्यालय के निर्धारण अभिलेखों की जनवरी 2012 में नमूना-जांच के दौरान हमने पाया कि एक डीलर ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 2.01 करोड़ मूल्य के दुग्ध उत्पाद¹² बेचे तथा चार प्रतिशत की दर पर वैट उद्गृहीत किया गया। एए. ने भी मार्च 2011 में निर्धारण सुनिश्चित करते समय 12.5 प्रतिशत की सही दर की बजाय उन्हें अनुसूची

¹²

अमूल कल्पी + मिल्क, चॉकलेट मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, कूल कॉफी, नेत्रामूल मिल्क।

वर्ष 2011–12 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

‘सी’ की मद मानते हुए चार प्रतिशत की दर पर वैट उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.02 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 17.09 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा जनवरी 2012 में मामला इंगित किए जाने के पश्चात् ए.ए. ने जून 2012 में बताया कि मामला स्वतः कार्रवाई करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

हमने मामला जून 2012 में ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित तथा सरकार को प्रतिवेदित किया।

एग्जिट काफ़ैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।